-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त पर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम किया गया घोषित।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले वांछित अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गौरतलब हो कि दिनांक 10.04.2025 की रात्रि को थाना अतर्रा के रहने वाले कैलाशचन्द्र के साथ शान्तिधाम स्कूल अतर्रा के पास मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों द्वारा एक लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में **थाना अतर्रा पर मु0अ0सं0 129/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 04 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा घटना में शामिल वांछित अभियुक्त **हसीमुद्दीन उर्फ पप्पू उर्फ सीटी पुत्र शमसुद्दीन निवासी दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा** पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वांछित अभियुक्त की सूचना जो भी व्यक्ति देगा उसे इनाम दिया जायेगा साथ ही सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी। सभी से निवेदन है कि वांछित अभियुक्त के कहीं भी दिखने/सूचना मिलने पर इसकी सूचना मोबाइल नम्बर- 9454400257, 9454401029, 9454401354, 9454403032 पर दें।

अभियुक्त-

1. हसीमुद्दीन उर्फ पप्पू उर्फ सीटी पुत्र शमसुद्दीन निवासी दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा।

इनामिया अभियुक्त
हसीमुद्दीन उर्फ पप्पू उर्फ सीटी